अत्यावश्यक

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

सत्यमेव जयते

संख्या न0नि0–50–15/2025.....2861

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा(भा.प्र.से.)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में, सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)
–सह–जिला पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक–24.6.25

विषय :– पंचायत उप निर्वाचन, 2025 में उपयोग में लाये जाने वाले ई.वी.एम. के Commissioning कार्य एवं मतदान तथा मतगणना के तिथि को तकनीकी सहायक प्रदान करने हेतु अभियंताओं की सेवा उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः– आयोग का पत्रांक–2830 दिनांक–21.06.2025 एवं पत्रांक–2699 दिनांक–13.06.2025

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है पंचायत उप निर्वाचन, 2025 क्रमशः दिनांक–दिनांक–09.07.2025 को निर्धारित है। इसी प्रकार मतदान के उपरान्त मतगणना दिनांक–11.07.2025 को निर्धारित है।

उक्त मतदानों में प्रयोग में लिये जाने वाले ई.वी.एम. की Commissioning तथा मतदान एवं मतगणना की तिथियों को तकनीकी सहायता हेतु BEL के 44 अभियंताओं की सेवा ली जायेगी।

ज्ञातव्य हो कि नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2025 के निमित्त BEL के 44 अभियंता राज्य के 27 जिलों में प्रतिनियुक्त हैं। इन्हीं अभियंताओं की सेवा दिनांक–01.07.2025 से 11.07.2025 तक विस्तारित करने का अनुरोध BEL को की गयी है, जिसपर उनके द्वारा सहमति प्रदान की गयी है। जिलों को आवंटित अभियंताओं की संख्या सूचीबद्ध कर पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।

पंचायत उप निर्वाचन, 2025 में अधिकांश ऐसे प्रखंड है जहाँ एक या दो बूथों पर निर्वाचन कराया जाना है। अतएव समय के बचत एवं मितव्ययिता को ध्यान में रखते हुए ई.वी.एम. Commissioning हेतु निदेशानुसार निम्नलिखित दिशा निर्देश संसूचित किये जा रहे हैं–

1. Commissioning का कार्य दिनांक–01.07.2025 से 06.07.2025 तक निर्धारित किया जाता है।
2. प्रत्येक जिला दिनांक–01.07.2025 से स्टॉक में उपलब्ध ई.वी.एम. की Commissioning अविलम्ब प्रारंभ कर देगे।
3. जिन जिलों में ई.वी.एम. की कमी है, वे जिले भी उपलब्ध ई.वी.एम की Commissioning प्रारंभ करेंगे तथा जिन जिलों से ई.वी.एम. प्राप्त करने हेतु उन्हे टैग किया जा रहा है। उन जिलों से उसे अविलम्ब प्राप्त करेंगे, ताकि Commissioning का कार्य ससमय पूरा हो सके।
4. **जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह– जिला पदाधिकारी तथा जिला स्तरीय ई.वी.एम. कोषांग के नोडल पदाधिकारी** जिले में प्रतिनियुक्त होने वाले BEL के अभियंताओं की सेवा अपने जिले में अपनी सुविधा एवं निर्धारित समय सारणी के अनुसार **संबंधित निर्वाची पदाधिकारी/प्रखंड** में चक्रानुक्रम में उपलब्ध करायेगे। इस क्रम में BEL के अभियंताओं को **वाहन एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी।**

5. बक्सर एवं भोजपुर तथा अरवल एवं जहानाबाद जिलों हेतु संयुक्त रूप से अभियंताओं की सेवा आवंटित की गयी है। अतः दोनों जिला निर्वाचन पदाधिकारी/जिला नोडल पदाधिकारी आपस में समन्वय स्थापित कर Commissioning का कार्य संपादित करायेंगे।
6. जिन जिलों या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान केन्द्रों की संख्या अधिक हो वहाँ जिला द्वारा **अधिक तकनीकी दल का गठन किया जाए,** ताकि Commissioning का कार्य ससमय सम्पादित किया जा सके।
7. **इस तथ्य पर विशेष ध्यान दिया जाये कि जिला स्तर से आवासन/भोजन/परिवहन आदि की व्यवस्था करने पर सेवा प्रमाण पत्र में इसका उल्लेख अवश्य किया जाये ताकि अभियंताओं को उसी के अनुरूप भुगतान किया जा सके।**
8. **पंचायत उप निर्वाचन, 2025 के Commissioning एवं मतदान/मतगणना कार्य में लगाये गये अभियंताओं का भुगतान पंचायत मद से किया जायेगा।**
9. Commissioning से संबंधित शेष दिशा–निर्देश एवं स्थायी आदेश यथावत समझे जायेंगे।

अनु0–जिलावार अभियंताओं की संख्या की सूची।

विश्वासभाजन

24/6/25

सचिव।

ज्ञापांक– न0नि0–50–15/2025 2861 पटना, दिनांक–24.6.25

प्रतिलिपि :– सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

24/6/25

सचिव।

ज्ञापांक– न0नि0–50–15/2025 2861 पटना, दिनांक–24.6.25

प्रतिलिपि– Anil Kumar Soans, Sr.DGM (Marketing/EM) BHARAT ELECTRONICS LIMITED BENGALURU-560013E-mail-aksoans@bel.co.in को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/6/25

सचिव।

ज्ञापांक– न0नि0–50–15/2025 2861 पटना, दिनांक–24.6.25

प्रतिलिपि :– श्री सत्यजीत कुमार पाठक, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/श्री मनीष कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, प्रभारी लेखा शाखा बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/6/25

सचिव।

ज्ञापांक– न0नि0–50–15/2025 2861 पटना, दिनांक–24.6.25

प्रतिलिपि :– 1. सभी नोडल पदाधिकारी, ई.वी.एम. कोषांग, बिहार राज्य बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री नीतिश कुमार, आई.टी. प्रबंधक, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/श्री राहुल कुमार, प्रबंधक, एस.ई.आर./श्री विकास सिन्हा, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/6/25

सचिव।

185

पंचायत उप निर्वाचन, 2025 में **Commissioning**, मतदान एवं मतगणना के दौरान निम्न सूची के अनुसार अभियंताओं की सेवा उपलब्ध कराने हेतु मांग पत्र

क्र0सं0	जिला का नाम	अभियंताओं की संख्या	मतदान हेतु आवश्यक ई.वी.एम की संख्या	अभ्युक्ति
1	पटना	2	174	
2	बक्सर	2	4	दोनों अभियंता संयुक्त रूप से दोनों जिलों का कार्य सम्पादन करेंगे।
3	भोजपुर		307	
4	कैमूर	1	33	
5	रोहतास	1	120	
6	नालन्दा	1	40	
7	गयाजी	1	35	
8	नवादा	1	77	
9	औरंगाबाद	1	104	
10	जहानाबाद	1	23	दोनों जिलों का कार्य का सम्पादन करेंगे।
11	अरवल		13	
12	सारण	1	49	
13	सिवान	2	273	
14	गोपालगंज	1	72	
15	मुजफ्फरपुर	1	103	
16	वैशाली	2	271	
17	पूर्वी चम्पारण	1	130	
18	प0 चम्पारण	1	96	
19	सीतामढ़ी	1	149	
20	शिवहर	1	32	
21	दरभंगा	2	230	
22	मधुबनी	1	95	
23	समस्तीपुर	1	96	
24	सहरसा	1	45	
25	सुपौल	1	121	
26	मधेपुरा	1	28	
27	पूर्णिया	1	64	
28	किशनगंज	1	69	
29	कटिहार	1	113	
30	अररिया	2	199	
31	मुंगेर	1	36	
32	लखीसराय	1	33	
33	शेखपुरा	1	47	
34	बेगूसराय	2	204	
35	खगड़िया	1	104	
36	जमुई	1	32	
37	भालगपुर	2	197	
38	बांका	1	43	
	कुल	44		

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001, Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847| E-mail: secbihar

E:\dhiru\Prem sir letter.2.docx

संजय Chandan